न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक तीन / निगरानी / अशोंकनगर / भू.रा. / 2018 / 1776

गुलाब सिंह पुत्र महाराजसिंह यादव
निवासी– ग्राम महुआखेडा, तहसील
अशोकनगर जिला अशोकनगर(म.प्र.)

–– आवेदकगण

बनाम

1. हरिओम पुत्र बादाम सिंह
   निवासी – ग्राम गरौली, तहसील व
   जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. कृष्णभान सिंह पुत्र भीकम सिंह
3. जयमंण्डल सिंह पुत्र बाबूलाल यादव
4. निर्मलसिंह पुत्र हरदेवसिंह,
   निवासीगण– ग्राम कचनार, तहसील व
   जिला अशोकनगर (म.प्र.)
5. कमलसिंह यादव पुत्र महाराजसिंह
   निवासगण– ग्राम महुआखेडा,

–– अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व निरीक्षक, वृत्त कचनार तहसीलदार अशोकनगर, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 01 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2018 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत।

श्रीमान् जी,

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/1776

गुलाब सिंह विरूद्ध हरिओम

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2- यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराए जाकर पुनः उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया है। 4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.03.18 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ विद्वान तहसीलदार द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में विधिसंमत एवं सारगर्भित व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में विस्तृत व्याख्या की गयी है जिसे इस	

आदेश में पुन: उल्लेखित कर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या इस आदेश का अंग होगा। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित होने की कोई संभावना हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार की मांग पर दिनांक 12.3.18 तक लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप है वह चाहे तो लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है जिसमें उसे अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य